न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 473–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 06–01–2015 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 225/अपील/2013–14

....

कैलाश दाहिया आत्मज जयलाल दाहिया,
मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मोहन शुगर मिल्स
धनबाडा बहमान गॉव तहसील खिरकिया जिला हरदा

.... आवेदक

विरूद्ध

1–अनुविभागीय अधिकारी खिरकिया जिला हरदा
2–सेठ बल्लभदास मृत वारिसान
अ–श्री कृष्णदास आ0श्री बल्लभदास
ब–श्री विजेश कुमार आत्मज श्री बल्लभदास
3–श्रीमती नन्हीबाई मृत वारिसन
अ–श्री कांतिकुमार आ0 श्री जमना प्रसाद जैसानी
ब–श्री शांति कुमार आ0श्री जमनाप्रसाद जैसानी
4–म0प्र0राज्य द्वारा कलेक्टर हरदा/होशंगाबाद

.... अनावेदकगण

....

श्री भूपेन्द्र साहनी एवं श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1 व 4
श्रीमती नंदिता दुबे, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2
सर्व श्री शांतिकुमार जैसानी एवं दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 3

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 28/5/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–01–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक मोहन शुगर मिल्स द्वारा तहसीलदार खिरकिया जिला हरदा के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि जिला न्यायाधीश होशंगाबाद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश हरदा द्वारा दिनांक 30–1–1990 को आदेश पारित कर ग्राम धनवाडा वमनगॉव बिचपुरी सेठ विचपुरी चौकी की कृषि भूमियों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी हरदा द्वारा जो भूमियॉ अतिशेष घोषित कर मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनावेदक के नाम चली आ रही है, वह सब लीजडीड के आधार पर और आपसी संविदा अनुसार आवेदक की मानी जाकर उनके मैनेजर के माध्यम से उक्त भूमियों का मालिकाना हक आवेदक मोहन शुगर मिल्स लिमिटेड की मानी जाकर उनके मैनेजर के मार्फत उक्त भूमियों का मालिकाना हक आवेदक मोहन शुगन मिल्स लिमिटेड को प्राप्त हुआ है और व्यवहार न्यायालय के आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई भी रोक आदेश नहीं दिया गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में आवेदक मोहन शुगर मिल्स का नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा 04/अ–6/2011–12 दर्ज कर दिनांक 20–02–2013 को आदेश पारित किया जाकर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 4–3–2014 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुये कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने रिव्यु पिटीशन कमांक 736/2013 विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में अपीलार्थी की अपील पर कोई निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं है, अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा दिनांक 6–1–2015 को आदेश पारित कर प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने हेतु नुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित कर समाप्त किया गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राय साहब एवं उनके परिवार के सदस्यों ने प्रश्नाधीन भूमियॉ 30 वर्ष के लिये लीज पर दी थी और प्रश्नाधीन भूमियों पर उनके कब्जे भी है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का भूमिस्वामी आवेदक को घोषित किया गया है, जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपील निरस्त हुई है, तत्पश्चात् शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट प्रस्तुत की गई है, वह भी निरस्त हो गई है । इस आधार पर कहा गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय से आवेदक प्रश्नाधीन भूमियों का भूमिस्वामी हो गया है, अतः उसका नामान्तरण आवेदन पत्र निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा जहॉ अवैधानिक कार्यवाही की गई है वहीं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना भी की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि राय साहब द्वारा प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को पटटे पर दी गई थी और उन्हें वापिस नहीं ली है, इसलिये आवेदक को व्यवहार न्यायालय द्वारा भूमिस्वामी माना है । यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय में अनावेदक कमांक 2 द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 189 व 190 के अन्तर्गत आवेदक प्रश्नाधीन भूमियों का अधिपति कृषक होने से उसे भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय ने उच्च न्यायालय में अपील लंबित होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किया है और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हो जाने के पश्चात् भी एस.एल.पी. लंबित होने के आधार पर अपील निरस्त की गई है जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि किसी भी वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन प्राप्त नहीं है, इसलिये तहसीलदार द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के आधार पर नामान्तरण करने हेतु राजस्व न्यायालय बाध्य है । जिन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की अपील निरस्त की गई है, उन्हीं के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रकरण

दायर किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि लम्बे समय से विवाद प्रचलित होने के कारण आवेदक द्वारा फैक्ट्री स्थापित नहीं की जा सकी है । इस आशय के निष्कर्ष व्यवहार न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गये हैं ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को 30 वर्ष के लिये फैक्ट्री स्थापित करने हेतु भूमि लीज पर दी गई थी, परन्तु उनके द्वारा फैक्ट्री स्थापित नहीं की गई है, इसलिये भूमि शासन की होगी । यह भी कहा गया कि आयुक्त द्वारा अभी अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) मोहन शुगर मिल्स वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है और नम्बबर 2002 में कंपनी एक्ट की धारा (3)(4)(5) के अन्तर्गत भंग हो चुकी है । इस आधार पर कहा गया कि आवेदक कैलाश दाहिया द्वारा कंपनी की ओर से निगरानी प्रस्तुत नहीं कर स्वयं की ओर से प्रस्तुत की गई है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) आवेदक मोहन शुगर मिल्स को प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1952 में 30 वर्ष के लिये लीज पर दी गई थी और वर्ष 1982 में लीज समाप्त होने के पश्चात् लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ है, इसलिये उक्त पटटे के आधार पर आवेदक को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ।

(3) व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश के पैरा 7, 10, 12 व 13 में एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रथम अपील कमांक 110/1991 एवं 112/1991 के पैरा 64 एवं 65 में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक द्वारा अधिपति कृषक एवं बाद में भूमिस्वामी अधिकार पटटे के आधार पर प्राप्त होने के कारण संहिता के प्रावधानों

के अन्तर्गत नामान्तरण चाहा गया है जो नहीं किया जा सकता है और सेठ हरिशंकर को भूमिस्वामी माना है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में तो किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, परन्तु आयुक्त द्वारा आदेश के पैरा 17 में भूमिस्वामी की मृत्यु के उपरांत उसके वारिसानों का नाम दर्ज नहीं होने के कारण एवं वसीयत द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करने के कारण भूमि शासकीय घोषत करने में विधि विपरीत एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(5) आवेदक को स्वत्व प्राप्त होने के दस माह के अन्दर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा अत्यधिक विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं ।

(6) मध्यप्रदेश शासन ने एस.एल.पी. प्रस्तुत की गई है, आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है इसलिये एस.एल.पी. शासन की निरस्त हुई है, आवेदक की नहीं ।

(7) चूँकि अनावेदक कमांक 2 हरिशंकर का वारिसान है, इसलिये भूमि शासकीय घोषित नहीं की जा सकती है ।

6/ अनावेदक कमांक 3 के अभिभाषक द्वारा अनावेदक कमांक 2 के तर्को को समर्थन दिया गया है ।

7/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त के प्रकरण में संलग्न जिला न्यायाधीश होशंगाबाद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा व्यवहार वाद कमांक 2–अ एवं 3–अ/1976 में पारित आदेश दिनांक 30–1–1990 महत्वपूर्ण है, जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा स्व0राय साहब सेठ हरिशंकर को ही प्रश्नाधीन भूमियों का भूमिस्वामी माना है और व्यवहार न्यायालय के आदेश की पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक एफ.ए. 112/1991 में दिनांक 16–8–2013 को

आदेश पारित कर की गई है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि आवेदक को अधिपति कृषक के कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुये हैं, इसलिये प्रश्नाधीन भूमियों पर उसे भूमिस्वामी अधिकार भी प्राप्त नहीं हुये हैं । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि व्यवहार न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है, अतः आवेदक को इस आधार पर कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है । स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश के प्रकाश में निगरानीकर्ता मोहन शुगर मिल्स को कोई अधिकार प्राप्त न होने से उनके द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त योग्य है ।

8/ यहाँ यह भी विचारणीय प्रश्न है कि यदि स्व0सेठ राय साहब अथवा उनके वारिस प्रश्नाधीन भूमियों के भूमिस्वामी थे, तब सक्षम प्राधिकारी को उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत प्रकरण प्रचलित करना था । इस संबंध में जिला न्यायाधीश होशंगाबाद के अतिरिक्त न्यायाधीश हरदा द्वारा अपने आदेश दिनांक 30–1–1990 के पैराग्राफ 23 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी के लिये यह नितान्त आवश्यक था कि वे मध्यप्रदेश कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत भू–धारकों को सूचना पत्र देकर विवरण प्रस्तुत करने के लिये उत्प्रेरित करते । प्रकरण में आये तथ्यों से प्रथमदृष्टया यह परिलक्षित होता है कि राय साहब के विरूद्ध सक्षम अधिकारी ने सीलिंग प्रकरण प्रारंभ भी किया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय होने के उपरांत उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई यह अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है । यहाँ यह अत्यन्त खेदजनक है कि अनुविभागीय अधिकारी/ कलेक्टर ने राजस्व मण्डल द्वारा चाहे जाने पर भी उक्त प्रकरण उपलब्ध नहीं कराया है ।

9/ सीलिंग के बिन्दु पर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश तो दिये हैं, परन्तु स्पष्ट निर्देश नहीं दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक मोहन शुगर मिल्स के पक्ष में

जारी पटटे की अवधि 1982 में समाप्त होने के पश्चात् प्रश्नाधीन भूमियॉ पुनः सेठ राय साहब हरिशंकर के वारिसों के नाम दर्ज की गई है, परन्तु उनके विरूद्ध सीलिंग अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई है । सक्षम अधिकारी द्वारा की गई इस घोर लापरवाही पर आयुक्त ने भी ध्यान नहीं दिया है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण की स्थिति को देखते हुये यह आवश्यक है कि निगरानी निरस्त करते हुये आयुक्त को निर्देश दिये जाये कि वह सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत भूमिस्वामी के विरूद्ध नियमानुसार अतिशेष भूमि शासन में वेष्ठित करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराये । आयुक्त को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह समय पर कार्यवाही नहीं करने के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करें।

10/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाकर आयुक्त को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु निर्देश किया जाता है ।

11/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 1116–पीबीआर/15 पर भी लागू होगा। अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर